



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP26434730070577Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature

I 20947

ACC Name MAHESH KUMAR

ACC Code : UPECOLUP14016004

ACC Address TEHSIL, DADRI

LIC 70/2021 Tehsil Dadri (G.B.Nagar)

Certificate No.

IN-UP26434730070577Y

Certificate Issued Date

24-Apr-2026 01:51 PM

Account Reference

NEWIMPACC (SV)/ up14016004/ GAUTAMBUDDH NAGAR 1/ UP-GBN

Unique Doc. Reference

SUBIN-UPUP1401600447796978742455Y

Purchased by

MANSI BHATI FOUNDATION SHIKSHA PRASAR TRUST

Description of Document

Article 35 Lease

Property Description

VILL- ROZA JALALPUR TEHSIL DADRI G.B. NAGAR

Consideration Price (Rs.)

First Party

HARISH PAL

Second Party

MANSI BHATI FOUNDATION SHIKSHA PRASAR TRUST

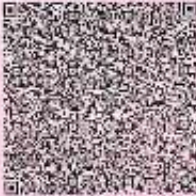
Stamp Duty Paid By

MANSI BHATI FOUNDATION SHIKSHA PRASAR TRUST

Stamp Duty Amount(Rs.)

1,500

(One Thousand Five Hundred only)

-STAMP
LOCKED

Please write or type below this line

Harish

बलेशम

PF 0033931840

Statutory Alert

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.uptestamp.com or using e-Stamp Mobile App or Bank Holding any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it void.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL



003001840



SANJAY KUMAR YADAV
Advocate

Reg. No. UP/15605/10
Ch. No. 14
Tehsil Compound Dadrh
Distt. G.B. Nagar



SANJAY KUMAR YADAV
Advocate

Reg. No. UP/15605/10
Ch. No. 14
Tehsil Compound Dadrh
Distt. G.B. Nagar

किरायानामा / पट्टा विलेख / कबूलियतनामा

मासिक किराया अंकन- 1000 / रु०

औसत वार्षिक किराया- 12,000 / रु०

प्रिमियम मूल्य अंकन- 72,000 / रु०

स्टाम्प- 1500 / रु०

किरायानामा की अवधि दिनांक 24.04.2026 से दिनांक 23.04.2056

यानि 30 वर्षों के लिये

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





मैं कि हरीश पाल पुत्र श्री ऋषिपाल निवासी बी-59, रोड नं० 5, गाजीपुर डेरी
फार्म ईस्ट दिल्ली (प्रथम पक्ष) ADHAR CARD NO. XXXX XXXX 9900
PAN NO. CZBPP5799R Mo. 9540354000

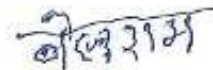
एवं

मानसी भाटी फाउन्डेशन शिक्षा प्रसार ट्रस्ट द्वारा संचालित गोल्डन वैली
इंटरनेशनल स्कूल पता रोजा जलालपुर तहसील दादरी गौतमबुद्धनगर –
द्वारा अध्यक्ष श्री बलराम सिंह पुत्र श्री हरज्ञान सिंह निवासी ई-3, रोड नं० 6
गाजीपुर डेरी फार्म ईस्ट दिल्ली (द्वितीय पक्ष) ADHAR CARD NO. XXXX
XXXX 0205 PAN NO. BOCPS3185K MO.

विदित हो कि एक किता भूमि/ भवन स्थित ग्राम रोजा जलालपुर परगना
व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर निम्न सीमा संबंधित खसरा नं० 65 व
66 रकबा 6280 वर्गमीटर जिसके पूरब में – HALF BOUNDARY
ADJOINING ROAD AND HALF BOUNDARY ADJOINING OTHER
LAND पश्चिम में – ROAD उत्तर में – OTHER LAND दक्षिण – OTHER
LAND को प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किराये पर दिया गया है । जिसके
प्रथम पक्ष बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज मालिक व काबिज है। मुझ फरीक अव्वल
की उक्त सम्पत्ति आज दिन तक हर प्रकार के कर्जा सरकारी व गैर सरकारी











आवेदन सं०: 202600742025054

पट्टा विलेख/कबूलियतनामा

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 20947

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 72000 स्टाम्प शुल्क- 1500 बाजारी मूल्य- 0 पंजीकरण शुल्क- 1500 प्रतिलिपिकरण शुल्क- 60 योग: 1560

श्री मानसी भाटी फाउन्डेशन शिक्षा प्रसार ट्रस्ट द्वारा
बलराम सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री हरशान सिंह
व्यवसाय: अन्य
निवासी: ई-3 रोड नं० 6 गाजीपुर डेरी फार्म ईस्ट दिल्ली

बलराम सिंह



श्री. मानसी भाटी फाउन्डेशन शिक्षा प्रसार ट्रस्ट द्वारा

बलराम सिंह अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/04/2026 एवं 02:35:51

PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

लोकेश गुप्ता
उप निबंधक, दादरी
गौतम बुद्ध नगर
24/04/2026

लोकेश गुप्ता,
निबंधक लिपिक
24/04/2026

आदि से पाक व साफ है किस अन्य स्थान पर आड, रहन, बय, हिय माहदाबय बैंक लौन जमानत आदि में ग्रस्त नहीं है अत मुझ फरीक अव्वल ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि से अपनी उपरोक्त सम्पत्ति को फरीक दोयम को दिनांक 24.04.2026 से दिनांक 23.04.2056 यानि 30 वर्षों के लिये अंकन- 1000/रु0 प्रति माह की दर से किराये पर देनी तय कर दी है निम्न शर्तों की पाबन्दी हम फरीकेन व हमारे वारिसान पर रहेगी:-

- 1 यह कि तयशुदा सम्पत्ति का किराया द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को प्रतिमाह अग्रिम रूप से अदा करेगा।
- 2 यह कि द्वितीय पक्ष प्रत्येक महीने की 01 से 10 तारीख के बीच में प्रथम पक्ष को किराया नकद या चैक द्वारा अदा करने का हकदार रहेगा ।
- 3 यह कि तयशुदा सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष अपनी सुविधनुसार प्रयोग करने व कच्चे या पक्के निर्माण करने का हकदार होगा जिसमें मुझ प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 4 यह कि तयशुदा सम्पत्ति की बाबत बिजली व पानी व द्वितीय पक्ष की सुविधा के लिये प्रयोग की जानी वाली किसी भी गतिविधि आदि के बिल के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं द्वितीय पक्ष की रहेगी।







आवेदन सं०: 202600742025054

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 20947

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त पदटा दाता: 1

श्री हरीश पाल,

[HARISH PAL

पुत्र श्री ऋषिपाल

निवासी: बी-59 रोड नं० 5 गाजीपुर डेरी फार्म ईस्ट दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 799R

पदटा गृहीता: 1



श्री मानसी भाटी फाउन्डेशन शिक्षा प्रसार ट्रस्ट के द्वारा बलराम सिंह,

[BALERAM SINGH

पुत्र श्री हरजान सिंह

निवासी: ई-3 रोड नं० 6 गाजीपुर डेरी फार्म ईस्ट दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 185K

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1



श्री नितिन भाटी, पुत्र श्री सुन्दर भाटी

निवासी: ई-2 रोड नं० 6 गाजीपुर डेरी फार्म वसुधरा एन्क्लेव पूर्वी दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री उमाशंकर, पुत्र श्री नत्थी सिंह

निवासी: मौ० ठाकुरान कस्बा दादरी तह० दादरी जिला गौतमबुद्धनगर

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

इन्द्रा सिंह प्रभारी

उप निबंधक: दादरी

गौतम बुद्ध नगर

24/04/2026

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

लोकेश गुप्ता

निबंधक लिपिक गौतम बुद्ध नगर

24/04/2026

- 5 यह कि तयशुदा सम्पत्ति में द्वितीय पक्ष को कोई भी ऐसा परिवर्तन करने का हक नहीं होगा जिसके द्वारा सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचे।
- 6 यह कि उक्त सम्पत्ति (दिनांक 24.04.2026 से दिनांक 23.04.2056 तक यानि 30 वर्षों के लिये) के लिये द्वितीय पक्ष के अधिपत्य में रहेगी।
- 7 यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर देने (सब लीज करने) का हकदार नहीं होगा।
- 8 यह कि द्वितीय पक्ष को उक्त बिल्डिंग में कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार नहीं होगा जो राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो, यदि द्वितीय पक्ष कोई ऐसा कार्य करता है तो उसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की ही होगी प्रथम पक्ष का उससे कोई वास्ता सरोकार नहीं होगा।
- 9 यह कि किरायेनामों की अवधि समाप्त हो जानों के पश्चात द्वितीय पक्ष उक्त प्लाट पर प्रथम पक्ष को कब्जा देने का हकदार रहेगा। और यदि दोनों पक्ष भविष्य के लिये सहमत होंगे तो नयी किरायेदारी के अनुसार नया किरायानामा तय किया जायेगा।
- 10 यह कि किरायेनामों में वर्णित उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करने के लिये दोनों पक्ष मय वारिसान बाध्य होंगे।

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





अतः यह किरायानामा विलेख बिना किसी जोर दबाव व बहकाव के अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में लिख दिया है कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे इति।

[Signature]



[Signature]
24/04/2026



[Signature]

गवाह-1- नितिन भाटी पुत्र श्री सुन्दर भाटी नि० ई 2,
रोड नं० 6 गाजीपुर डेरी फार्म वसुंधरा एन्कलेव पूर्वी दिल्ली।



[Signature]

गवाह-2- उमाशंकर पुत्र श्री नत्थी सिंह नि० मौ० ठाकुरान
कस्बा दादरी तह० दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।



दिनांक- 24/04/2026 मसौदाकर्ता-

[Signature]
SANJAY KUMAR YADAV
Advocate
Reg. No. UP/15805/10
Ch. No. 14
Tehsil Compound Dabri
Distt. G.B. Nagar



आवेदन सं०: 202600742025054

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 34778 के पृष्ठ 287 से 306 तक क्रमांक 20947 पर दिनांक 24/04/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

इन्द्रा सिंह प्रभारी
उप निबंधक : दादरी
गौतम बुद्ध नगर
24/04/2026

